आदेश की क्रम स० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ

न्यायालय, भूमि सुधार उप समाहर्ता, अरवल

विविध वाद संख्या 194/2019–2020

(भूदान पत्र–दान पत्र संपुष्टि)

आदेश

25-11-21

भूदाता नोखा मिस्त्री पिता–सुवेदार मिस्त्री, ग्राम–मखमीलपुर, थाना+अंचल–करपी, जिला–अरवल से संबंधित कार्यालय मंत्री जिला भूदान कार्यालय जहानाबाद–सह–अरवल के पत्रांक 52 दिनांक 11.10.2019 द्वारा दान पत्र संपुष्ट हेतु अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में भूदान–यज्ञ–दान पत्र के माध्यम से उपलब्ध कराया गया। भूदान–यज्ञ–दान पत्र से संबंधित भूमि निम्नवत है:–

खाता	खेसरा	रकवा	चौहद्दी
53	317	01 कठा	उतर–नीज दक्षिण–हलखोरी मियॉ पूरब–सोवराती मियॉ पश्चिम–बखोरा साव

मौजा–मखमीलपुर, थाना नं०–21, थाना+अंचल–करपी, जिला–अरवल

भूदान दान पत्र के आलोक में वाद संचालित किया गया। दाता की उपस्थिति हेतु कार्यालय पत्रांक 843 दिनांक 31.12.2019 से अंचल अधिकारी के माध्यम से नोटिस तामिला कराया गया एवं भूदान यज्ञ–दान पत्र के आलोक में वर्णित भूमि की जॉच प्रतिवेदन की मॉग की गई। अंचल अधिकारी, करपी द्वारा बताया गया कि थाना नं0 21 अंचल करपी से संबंधित नहीं है। दान पत्र में वर्णित थाना नं0 21 अरवल अंचल से संबंधित है। भूदान दान पत्र में वर्णित भूमि की जॉच अंचल अधिकारी, अरवल से कराया गया अंचल अधिकारी, अरवल द्वारा पत्रांक 877 दिनांक 30.07.2021 से जॉच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। जॉच प्रतिवेदन के आलोक में वर्तमान कब्जाधारी को न्यायालय से नोटिस निर्गत किया गया, एवं नोटिस तामिला अंचल अधिकारी, अरवल से कार्यालय पत्रांक 537 दिनांक 06.08.2021 द्वारा तामिला कराकर प्रतिवेदन की मॉग की गई। अंचल अधिकारी, अरवल द्वारा पत्रांक 971 दिनांक 03.09.2021 द्वारा तामिला प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया। भूदाता की ओर से वाद में कोई उपस्थित नहीं हुए ना ही किसी के द्वारा कोई आपति दाखिल किया गया। कब्जाधारी न्यायालय में उपस्थित हुए एवं वर्णित भूमि के संबंध में आपति आवेदन, राजस्व रसीद LPC का छाया प्रति दाखिल किया गया।

भूदान यज्ञ–दान पत्र एवं अंचल अधिकारी, अरवल का जॉच प्रतिवेदन एवं कब्जाधारी द्वारा दाखिल कागजातों का अवलोकन किया। भूदान दान पत्र पर भूदाता का अंगुठा का निशान अंकित है एवं इद्रश मियॉ गिरजा सिंह का गवाह में नाम अंकित है। अंचल अधिकारी, अरवल ने जॉच प्रतिवेदन में बताया है कि वर्णित भूमि का खतीयान उपलब्ध नहीं है। खतीयानधारक एवं भूदाता का कोई संबंध नहीं मिलता हे। वर्तमान में भूमि पर श्रीमती मिन्ता देवी, पति–नरेश सिंह दखल कब्जा में है। भूमि धनहर है। दान कर्त्ता के पता के अनुसार पता नहीं चलता है खेसरा के अनुसार खाता 74 सेसरा 317 रकवा 45 डी0 रैयति खाते की है। प्रस्तावित भूमि भूहदबंदी, गैरमजरूआ खास, कैसरे हिन्द, मंदिर, मस्जिद, श्मशान, चिरारी आदि से मुक्त है।

कब्जाधारी श्रीमति मिन्ता देवी का कहना है कि मौजा मखदुमपुर कवीर थाना नं0 21 अंचल वो जिला–अरवल में खाता नं0 53 में खेसरा नं0 317 अंकित नहीं है। प्लौट नं0 317 खाता

नं0 74 में वर्णित है। कब्जाधारी मिन्ता देवी को न्यायालय सव जज प्रथम अरवल के न्यायालय में बॅटवारा वाद संख्या 66/2015 सुरेन्द्र कुमार भारती बनाम मिन्ता देवी वैगरह से प्राप्त है, जिसके आधार पर अंचल कार्यालय अरवल में दाखिल खरीज हुआ जिसका दिमाण्ड नं0 157/3 है जिसका राजस्व रसीद 2019-20 तक कटा हुआ है। मौजा-मखमिलपुर कवीर में खाता 53 का डिमाण्ड मिन्ता देवी के नाम से नहीं चल रही है। खाता नं0 74 मौजा मखदुमपुर कवीर पुराना सर्व खतियान अमर सिंह के नाम से दर्ज है। अंचल अधिकारी, अरवल द्वारा खाता नं0 74 खेसरा नं0 317 रकवा 7 $\frac{1}{2}$ डी0 डी0 का LPC निर्गत है, जिसके आलोक में वाद खारीज करने का अनुरोध किया है।

भूदान दान पत्र से भूदाता द्वारा वर्णित भूमि खाता नं0 53 खेसरा नं0 317 रकवा 01 कठा भूमि मौजा-मखमीलपुर, थाना-करपी, थाना नं0 21 में दिया गया है। अंचल अधिकारी करपी द्वारा बताया गया है कि थाना नं0 21 मेरा अंचल से संबंधित नहीं है। यह थाना नं0 21 अरवल अंचल से संवंधित है। वर्णित भूमि की जॉच प्रतिवेदन अंचल अधिकारी, अरवल से मॉग की गई। अंचल अधिकारी, अरवल नें जॉच प्रतिवेदन में उल्लेखित किया है कि दानकर्त्ता के पता के अनुसार पता नहीं चलता है। खेसरा के अनुसार खाता 74 खेसरा 317 रकवा 45 डी0 रैयति खाते की है। कब्जाधारी मिन्ता देवी, मौजा मखदुमपुर कवीर थाना नं0 21 अंचल वों जिला-अरवल में खाता 53 में खेसरा नं0 317 अंकित नहीं है। खेसरा 317 का खाता संख्या 74 है। कब्जाधारी को माननीय न्यायालय सव जज प्रथम अरवल द्वारा बॅटवारा वाद सं0 66/2015 सुरेन्द्र कुमार भारती वनाम मिन्ता देवी वैगरह से प्राप्त है। जिसके आधार पर अंचल अरवल में अपने नाम से दाखिल खारीज दिमाण्ड नं0 157/3 पर कायम है एवं 2019-20 तक राजस्व का भुगतान किया गया है।

अतः अंचल अधिकारी, अरवल के जॉच प्रतिवेदन पत्रांक 877 दिनांक 30.07.2021 के आधार पर भूदाता द्वारा वर्णित भूमि थाना नं0 21 में दिया गया है जो थाना नं0 21 मौजा मखदुमपुर कवीर का है। जवकि भूदाता द्वारा दान पत्र के माध्यम से दान दी गई भूमि मौजा-मखमीलपुर में अवस्थित है वैसी स्थिति में दान पत्र में वणित भूमि की संपुष्ट करना उचित प्रतीत नहीं होता है। भूदान दान पत्र में वर्णित भूमि को असंपुष्ट किया जाता है। इसकी एक प्रति कार्यालय मंत्री भूदान यज्ञ कार्यालय जहानाबाद-सह-अरवल एवं एक प्रति अंचल अधिकारी, अरवल को भेजे।

लेखापित एवं संशोधित

भूमि सुधार उप समाहर्ता
अरवल।

भूमि सुधार उप समाहर्ता,
अरवल।